न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 10/2022/अपील/आर्म्स एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 7.3.2022
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

जहूर अली आत्मज अब्दुल गनी जाति मेवाती निवासी ग्राम हीरापुर तहसील व थाना किशनगंज जिला बांरा।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बांरा ।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 6.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2022/270–72 दिनांक 4.2.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) के विरूद्ध यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र 459/बीएल/डीएम/बांरा जो दिनांक 31.12.2021 तक नवीनीकृत है को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बांरा के यहा प्रस्तुत किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बांरा क्षरा अनुज्ञापत्रधारी के चरित्र संबधी जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बांरा को प्रेषित रपोर्ट पत्रांक जिविशा/21/3684 दिनांक 31.12.2021 मे थानाधिकारी किशनगंज की जांच रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आर्म्स नवीनीकरण अवधि मे मुकदमा नं0 64/20 धारा 3/25 आर्म्सएक्ट पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने से गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2006 तथा आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3) मे प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य मे लाईसेन्सी के पास लोकशांति की सुरक्षा के लिए शस्त्र रहने देना उचित प्रतीत नही होने से न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक जेरअपील आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2022/270–72 दिनांक 4.2.2022 से निलम्बित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का नोटिस व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित कर त्रुटि की है। अपीलांट ने गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के प्रावधानों का उल्लधंन नही किया है। मुकदमाा सं0 64/20 मे शस्त्र का उपयोग नही रहा। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य उपलब्ध होने के बावजूद लाईसेन्स को निलम्बि किया जाना त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने थानाधिकारी की रिपोर्ट पर भी अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत अपीलांट का लाईसेन्स निलम्बित किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अपीलांट कामकाजी व्यक्ति है जिसको उक्त लाईसेन्स की आत्म सुरक्षा हेतु अत्यधिक आवश्यकता रहती है उक्त तथ्य को नजरंअदाज कर लाईसेन्स निलम्बित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एंव संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का नोटिस व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट ने गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के प्रावधानों का उल्लधंन नही किया है। मुक0 सं0 64/20 मे शस्त्र का उपयोग नही रहा है। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य उपलब्ध होने के बावजूद लाईसेन्स को निलम्बित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। बहस मे आगे बताया कि थानाधिकारी की रिपोर्ट पर भी अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अपने कथन के समर्थन मे वेर्स्टन लॉ केसेज पी. 35, 6.6.2013 पेज 393 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन कर प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण पर गौर किया। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बांरा द्वारा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे अपीलांट के चरित्र संबधी जिला पुलिस अधीक्षक बांरा से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक जिविशा /21/3684 दिनांक 31.12.2021 मे थानाधिकारी किशनगंज की जांच रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आर्म्स नवीनीकरण अवधि मे मुकदमा नं0 64/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने से गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2006 तथा आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3) मे प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य मे लाईसेन्सी के पास लोकशांति की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक जेरअपील आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2022/270–72 दिनांक 4.2.2022 से अपीलाांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया गया है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया ना ही थानाधिकारी किशनगंज की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई नाोटिस जारी किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट के तर्क के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख नोट शीट के पैरा 1 लगायत 17 के अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित करने के पूर्व अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई कारण भी उपलब्ध नही है जिससे लोकशांति की सुरक्षा हेतु अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया जाना आवश्यक है। अतः सहज न्याय के दृष्टिगत हम यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य जेरअपील आदेश दिनांक 4.2.2022 पारित करने पूर्व अपीलांट को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही कर त्रुटि की है ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य जेरअपील आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2022/270–72 दिनांक 4.2.2022 अपास्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाड) किया जाता है कि अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आवेदन पत्र के संबध मे गुणावगुण के आधार पर विचार कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे।

6 निर्णय आज दिनांक 6.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा